



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग, भावित भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या:-1425-पै०एवंआर०-28/पाकालि/12-10(2)-पै०एवंआर०/12

दिनांक: 16 जून, 2012

- 1- समस्त प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि०
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर,
- 2- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)
उ०प्र० पा०का०लि०,
शक्ति भवन विस्तार
लखनऊ।
- 3- समस्त मुख्य अभि०/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र०
पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०,
- 4- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पा०का०लि०, जे० पार्क, महानगर
विस्तार, लखनऊ।
- 5- महाप्रबन्धक, (लेखा प्रशा०), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन,
लखनऊ।
- 6- महाप्रबन्धक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति
भवन, लखनऊ।

महोदय,

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-7-विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92 दि० 09.05.12, अधिसूचना सं०-8-विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92 दि० 14.05.12 एवं अधिसूचना सं०-10-विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92 दि० 15.05.12 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न आदेशों/अधिसूचनाओं को संज्ञान में लेते हुये अपनी इकाईयों के अन्तर्गत अराजपत्रित कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुये कारपोरेशन (मु०) को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भारतीय,

(ओ०पी० जैन)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या :-1425(1)पै०एवंआर०-28/पाकालि०/12 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा०का०लि० के निजी सचिव।
2. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पा०का०लि० के निजी सचिव।
3. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. उपसचिव, अराजपत्रित (09अ)/(09ब) अनुभाग, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अधिशाली अभियन्ता (वेबसाइट), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(रज्जुन लाल)

अपर सचिव (अराजपत्रित)



उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

दिनांक : 09 मई, 2012

संख्या : 7-विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 09-05-2012 को हुई बैठक में परिचालन विधि से एतद्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

1. मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०- 2608/2011 में पारित निर्णय दिनांक 27-04-2012 के आलोक में उ०प्र० शासन द्वारा जारी की गयी अधिसूचना सं०-4/1/2002 टी०सी०-1-का-2/2012 दिनांक 08-05-2012 का संलग्नक सहित अंगीकृत किया जाता है, जिसके मुख्य आदेश बिन्दु निम्न है :-
(क) पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अब आरक्षण देय नहीं है।
(ख) जिन संवर्गों/पदों की ज्येष्ठता सूचियाँ, ज्येष्ठता नियमावली के नियम-8 'क' के आधार पर परिणामिक ज्येष्ठता देते हुए निर्गत की गयी हो, उनमें से परिणामी ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुए ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार उन्हें संशोधित/परिवर्धित कर लिया जाये।
(ग) पदोन्नति के अवसर पर प्रथक प्रथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर यथा ज्येष्ठता एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जाये।
(घ) पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त परिषदादेश/निगमादेश एवं रोस्टर भी निरस्त किये जाते हैं।
2. उक्त के फलस्वरूप कारपोरेशन द्वारा पूर्व में जारी आदेश सं०-62-विनियम/ पाकालि/08-3-विनियम/92 दिनांक 26-03-2008 का तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
3. पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के पत्रांक 1051-आ०अनु०/राविप/ 94-10(14)आर०एस००/93 दिनांक 16-05-1994 द्वारा अंगीकृत उ०प्र० सरकार के पत्रांक-01/01/94-का-1/1994 दिनांक 11-02-1994 के साथ संलग्न अधिसूचना सं०-265/सत्रह-वि-1-2(क)5-1994 दिनांक 11-02-1994 द्वारा अधिसूचित उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) (पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी) का तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त परिषदादेश के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक

संख्या :- 7-(1)-विनियम/पाकालि/12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम/कैस्को।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(जावेद अहमद)
उप सचिव (विनियम)



उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

2

दिनांक : 14 मई, 2012

संख्या : 8-विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92

अधिसूचना

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7-विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92 दिनांक 9 मई, 2012 द्वारा उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं-4/1/2002 टी०सी०-1-का-2/2012 दिनांक 08-05-2012 को अंगीकृत करने के पश्चात उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल "अर्टिकिल्स ऑफ एसोसियेशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली, 2008 को संशोधित कर निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली, 2012

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-
(अ) यह विनियमावली " उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली, 2012" कही जायेगी।
(ब) यह 17 जून, 1995 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
2. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली, 2008 द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 में विनियम-8 के पश्चात् बढ़ाया गया नया नियम- 8 'क' निकाल दिया जायेगा।
3. उक्त के फलस्वरूप कारपोरेशन की पूर्व में जारी अधिसूचना सं० 62-विनियम/पाकालि/08-3-विनियम/92 दिनांक 26.3.08 को उसके प्रभावी होने की तिथि 17.6.1995 से ही निरस्त माना जायेगा एवं कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-7 विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92 दिनांक 9 मई, 2012 का बिन्दु-2 तदनुसार संशोधित किया जाता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संख्या :- 8-(1)-विनियम/पाकालि/12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबंध निदेशक उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
4. प्रबंध निदेशक, डिस्काम/केस्को।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।


(जवेद अहमद)
उप सचिव (विनियम)



उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

3

दिनांक : 15 मई, 2012

संख्या : 10-विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92

अधिसूचना

उ०प्र० पावर कारपोरेशन की अधिसूचना सं०-08-विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92 दिनांक 14-05-2012 द्वारा अधिसूचित उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली, 2012 संपठित कार्यालय ज्ञाप सं०-07-विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92 दिनांक 09-05-2012 के अनुक्रम में पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता समाप्त किये जाने से सम्बन्धित उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-4/1/2002 टी०सी०-1-का-2/2012 दिनांक 13-05-2012 की अनुरूपता में एतद्वारा, निम्नवत् आदेशित किया जाता है:-

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता नियमावली, 1998 में विनियम-08 के पश्चात् जोड़े गये नये विनियम-08 के निरस्त हो जाने के कारण उक्त नियमावली के आधार पर पूर्व में बनायी गयी ज्येष्ठता सूचियाँ स्वतः निष्प्रभावी हो गयी है। इस स्थिति के दृष्टिगत पदोन्नति करने के उद्देश्य से ज्येष्ठता सूचियाँ बनाये जाने के बारे में अब निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी -

(अ) यदि प्रबन्धन संतुष्ट है कि पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देते हुए निर्गत ज्येष्ठता सूची से पूर्व की निर्गत ज्येष्ठता सूची, जिसमें परिणामी ज्येष्ठता लाभ नहीं दिया गया था को विधिवत रूप से परिचालित कर आपत्तियों आमन्त्रित कर और उनके निस्तारण के उपरान्त तैयार किया गया था, और किसी न्यायालय के आदेश से बाधित नहीं है, तो उस ज्येष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।

(ब) अन्यथा की स्थिति में कारपोरेशन द्वारा पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुए ज्येष्ठता निर्धारण उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता नियमावली, 1998 संपठित उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता नियमावली, 2012 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित कर अन्तिम रूप दे दिया जाय व तदोपरान्त इन ज्येष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या :- 10-(1)-विनियम/पाकालि/12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम/केस्को।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(जावेद अहमद) 15/5/12
उप सचिव (विनियम)